[2021] 14 एस. सी. आर 809

लोचन श्रीवास

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(आपराधिक अपील सं। 499-500 2018 का)

14 दिसंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड संहिता 1860: एसएस। 363 , 366 , 376 (2) (i), 377,201,302 और 376ए- अभियोजन का मामला यह था कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, नाबालिग बेटी

शिकायतकर्ता का लापता पाया गया-वे उसकी तलाश में गए लेकिन

वह कहीं भी नहीं मिली-जब वे घर वापस आए, तो पीडब्लू-3 ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता जो पड़ोसी था, उसने कहा था कि अगर वे उसे पूजा करने की अनुमति देंगे, तो वह एक घंटे में बच्चे को ढूंढ सकता है। वे सहमत हो गए और पूजा के बाद, अपीलकर्ता ने उन्हें सूचित किया कि बच्चे को बांधा गया था और झाड़ियों में बोरे के अंदर रखा गया था-पीडब्लू-1 ने पुलिस को सूचित किया और संदेह पर, अपीलकर्ता से पूछताछ की गई और उसने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया-इसके बाद, पीड़ित लड़की के खून से लथपथ शरीर वाली झाड़ियों से बोरे बरामद किए गए-निचली अदालत ने दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अपीलार्थी को धारा 363,366,376 (2) (i), 377,201,302 और 376ए और एस। 6 यौन संबंध से बच्चों का संरक्षण अपराध अधिनियम, 2012 और दंडनीय अपराध के लिए मृत्युदंड पारित किया s.302-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: परिस्थितिजन्य साक्षय के मामले में दोषसिद्धि को विराम देने के लिए, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए- तत्काल मामले में, सिद्ध परिस्थितियों ने परिस्थितियों की एक श्रृंखला स्थापित की, जिससे अपीलार्थी के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है-एस के तहत दर्ज किए गए बयान में। 313 Cr.P.C. हालाँकि इन सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों को अपीलार्थी के सामने रखा गया था, लेकिन उन्होंने यह कहने के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि यह गलत और गलत था।

दोषसिद्धि यू/एस. एस. 363 , 366 , 376 (2) (i), 377,201,302 आर/डब्ल्यूएस। 376ए और एस। 6 पॉक्सो अधिनियम का पालन किया जाता है-हालांकि, इसे ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के होने की कोई संभावना नहीं है।

सुधार और पुनर्वास-मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया

कारावास।

14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, अदालत ने पकड़ना: 1. के मामले में दोषसिद्धि को विराम देने के लिए

परिस्थितिजन्य साक्षय, वे परिस्थितियाँ जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियाँ होनी चाहिए

एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति का होना चाहिए, और उन्हें ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। साक्षय की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े, और यह ऐसा होना चाहिए कि यह दिखाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए। [पैरा 14] [817-सी-डी]

2. परिस्थितियाँ परिस्थितियों की एक श्रृंखला स्थापित करती हैं, जो अपीलार्थी के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती हैं। इसके अलावा, धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए बयान में, हालांकि इन सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को अपीलार्थी के सामने रखा गया है, लेकिन उन्होंने यह कहने के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यह गलत और गलत है। यह एक तुच्छ कानून है कि हालांकि गलत स्पष्टीकरण को परिस्थितियों की श्रृंखला में एक लापता कड़ी को पूरा करने के लिए नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सिद्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए दोषसिद्धि के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए लिया जा सकता है।

दोषपूर्ण परिस्थितियाँ। परिस्थितियों की गैर-व्याख्या निष्कर्ष को मजबूत करेगी, जो दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला पर आधारित है जो नहीं की ओर ले जाती है।

अपीलार्थी के अपराध के अलावा अन्य निष्कर्ष। [पैरा 44,45] [829 - जी-एच; 830-डी]

हनुमंत, गोविंद नरगुंडकर बनाम के पुत्र। की स्थिति

मध्य प्रदेश [1952] 0 एससीआर 1091; शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1984) 4

एस. सी. सी. 116 [1985] 1 एस. सी. आर. 88; प्रकाश चंद बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 3 एससीसी 90: [1979] 2 एस. सी. आर. 330; हिमाचल प्रदेश प्रशासन बनाम। श्री ओम

प्रकाश (1972) 1 एससीसी 249: [1972] 2 एससीआर 765; ए. एन. वेंकटेश और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2005) 7 एस. सी. सी. 714; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जीत सिंह (1999) 4 एससीसी 370; जॉन पांडियन बनाम। राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु (2010) 14 एससीसी 129 द्वारा किया गया:

लोचन श्रीवास बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[2010] 15 एस. सी. आर. 1012; कृष्ण मोहर सिंह दुगल बनाम।

गोवा राज्य (1999) 8 एससीसी 552; नीलेश दिनकर

पराडकर बनाम. महाराष्ट्र राज्य (2011) 4 एससीसी 143:

[2011] 3 एस. सी. आर. 792-संदर्भित।

3. निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने केवल अपराध पर विचार किया है, लेकिन उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि पर विचार करें। अपीलार्थी एक युवा व्यक्ति है, जो अपराध करने के समय 23 वर्ष का था। वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास के संबंध में कोई संभावना नहीं है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत ने भी मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है। जेल में अपीलार्थी का आचरण संतोषजनक पाया गया है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। यह अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला अपराध है। इसमें कोई संदेह नहीं है, एक जघन्य। अपीलार्थी कठोर अपराधी नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के सुधार किए जाने और पुनर्वासित किए जाने की कोई संभावना नहीं है, जिससे कम सजा के वैकल्पिक विकल्प को बंद कर दिया जाए और मौत की सजा को अनिवार्य बना दिया जाए। आई. पी. सी. की धारा 376ए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 363,366,376 (2) (आई), 377,201,302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश बनाए रखा जाता है।

हालाँकि, अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत लगाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। निचली अदालत द्वारा बाकी अपराधों के लिए दी गई सजा, जैसा कि

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, बरकरार रखी जाती है। [पारस 50,52,54] [832-ई-एफ; 833-जी; 835-बी-सी]

आर. शाजी बनाम केरल राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. 266: [2013]

3 एस. सी. आर. 1172; मो. मन्नान उर्फ अब्दुल मन्नान बनाम

बिहार राज्य (2019) 16 एससीसी 584: [2019] 8 एस. सी. आर. 266; बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684; माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 470 [1983] 3 एस. सी. आर. 413; मोफिल खान और अन्य

वी. झारखंड राज्य 2021 (14) स्केल 249; राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2019) 12 एससीसी 460: [2018] 14 एस. सी. आर. 585; सुनील बनाम राज्य

मध्य प्रदेश (2017) 4 एस. सी. सी. 393-पर निर्भर था।

[2021] 14

एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1952] 0 एससीआर 1091

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1985] 1 एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[1979] 2 एससीआर 330

पैरा

27

संदर्भित किया गया है

[1972] 2 एससीआर 765

पैरा

27

संदर्भित किया गया है

(2005) 7 एस. सी. सी. 714

संदर्भित किया गया है

पैरा

27

(1999) 4 एससीसी 370

पैरा

32

संदर्भित किया गया है

[2010] 15 एससीआर 1012

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

(1999) 8 एस. सी. सी. 552

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

[2011] 3 एससीआर 792

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[2013] 3 एससीआर 1172

उस पर भरोसा करें

पैरा

40

[2019] 8 एससीआर 266

उस पर भरोसा करें

पैरा

48

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

उस पर भरोसा करें

पैरा

48

[1983] 3 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पैरा

48

2021 (14) स्केल 249

उस पर भरोसा करें

पैरा

49

उस पर भरोसा करें

[2018] 14 एससीआर 585

पैरा

50

(2017) 4 एस. सी. सी. 393

उस पर भरोसा करें

पैरा

53

2018 का Nos.499-500

उच्च न्यायालय के 17.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

संदर्भ में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका (सी. आर. आर. ई. एफ. 1 2016) और 2016 की आपराधिक अपील No.888।

आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमर्त्य कांजीलाल, सुश्री प्रियश्री शर्म

सुश्री हरिनी रघुपति, सुश्री रुशाली अग्रवाल, सुश्री प्रेरणा प्रियदर्शन एडवोस। अपीलार्थी के लिए।

निशांत पाटिल, सुश्री शुभिका सलूजा, सुश्री मालविका कला, अधिवक्ता। फा.

उत्तरदाता।

लोचन श्रीवास बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

बिलासपुर दिनांक 17 नवंबर 2017, इस प्रकार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायगढ़ (जिसे इसके बाद "ट्रायल जज" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 17 जून 2016 के फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, जिसमें ट्रायल जज ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366,376 (2) (i), 377,201,302 के साथ पठित धारा 376 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 (इसके बाद "पॉक्सो अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। उसी निर्णय और आदेश के अनुसार, अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। जिन अन्य अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषी पाया गया था, उनके लिए अपीलार्थी को 3 साल, 5 साल, 7 साल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ट्रायल जज ने भी एक संदर्भ सी. आर. बनाया है। रेफ. मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 (इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित) के तहत उच्च न्यायालय को 2016 का सं. 1। विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए, मौत की सजा की पुष्टि की है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

शिकायतकर्ता-पीडब्लू-1 गुड़िया परवीन डब्ल्यू/ओ पीडब्लू-2-मोहम्मद। अरमान अपने पति के साथ डी-29, चौथी मंजिल, बजरंगधीपा कॉलोनी में रहती थीं।

उसकी नाबालिग पीड़ित बेटी की उम्र 3 साल है। 24 फरवरी 2016 को लगभग 10.00 बजे, वह कपड़े धोने के लिए नीचे गई थी। उस समय उसने अपने पति को पीड़ित को नहलाने के लिए बुलाया। उसके पति ने उसे बताया कि पीड़िता खेलने के लिए नीचे गई थी। पीडब्लू-1 तब ऊपर गई और अपने पति को बताया कि पीड़ित नीचे नहीं है। इसके बाद उन्होंने पति (पीडब्लू-2) और उसने पीड़ित की तलाश शुरू की, लेकिन पीड़ित कहीं नहीं मिली। चूंकि पीड़ित नहीं मिला, इसलिए पीडब्लू-1 ने जुटमिल पुलिस स्टेशन जाकर पीड़ित के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने खोज जारी रखी और अंततः सुबह लगभग 03.00-04.00 पर अपने घर लौट आए। पीडब्लू-3-मोहम्मद। साहिद उर्फ राजू खान ने उसे बताया कि अपीलकर्ता-उसी इमारत में डी-15 के निवासी लोचन श्रीवास ने कहा था कि अगर वे उसे पूजा करने की अनुमति देंगे, तो वह एक घंटे में अपने बच्चे को ढूंढ लेगा। इसलिए, वे [2021] 14 एस. सी. आर. आयोजित करने के लिए सहमत हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूजा करते हैं। पूजा के बाद, अपीलार्थी ने उन्हें सूचित किया कि बच्चे को बंधा हुआ था और अम्लीभौना में सड़क के किनारे एक खंभे के पास झाड़ियों में एक बोरे के अंदर रखा गया था। इस पर, पीडब्लू-1 और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह

रक्त में पाया गया (उदा। - पी. 12)। मौखिक रिपोर्ट के आधार पर (उदा. - पीडब्लू-1 का पी. 1), एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (इसके बाद "एफ. आई. आर". के रूप में संदर्भित) (उदा. - पी. 36) आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया। जाँच पूरी होने के बाद एक आरोप पत्र आया आई. पी. सी. की धारा 363,376,377,302,201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल जज के समक्ष दायर किया जाना।

3. दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए

आई. पी. सी. की धारा 376 ए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 363,376 (2) (आई), 377,201,302। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया। मुकदमे के समापन पर, ट्रायल जज ने दोषसिद्धि और सजा का उपरोक्त आदेश दर्ज किया। इससे दुखी होकर,

अपीलार्थी द्वारा एक अपील को प्राथमिकता दी गई थी और निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा Cr.P.C की धारा 366 के तहत एक संदर्भ भी दिया गया था। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च

न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और मौत की सजा की पुष्टि की। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आनंद ग्रोवर और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री निशांत पाटिल को सुना है। 5. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आनंद ग्रोवर ने कहा कि वर्तमान मामला इस पर आधारित है -

परिस्थितिजन्य साक्षय। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से

दोषपूर्ण परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा और किसी भी मामले में, घटनाओं की श्रृंखला को स्थापित करने में विफल रहा, जिससे अभियुक्त के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन मामले में कई लापता लिंक हैं, और इस तरह, निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश। जैसा कि विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, कानून में टिकाऊ नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि मुख्य आपत्तिजनक परिस्थिति, जिस पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, वह है पीड़ित के शव की बरामदगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वसूली एक खुली जगह से है जो सभी के लिए सुलभ है। इसलिए उन्होंने लोचन श्रीवास v प्रस्तुत किया।

छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

कि उक्त वसूली अभियोजन मामले के लिए कोई सहायता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि काले जींस के आधे पैंट की कथित बरामदगी (एक्स।

पी. 15) मृतक का और सफेद गमछा (एक्स। - पी. 16) ए से है एक और सभी के लिए सुलभ स्थान। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (इसके बाद "एफएसएल" के रूप में संदर्भित) रिपोर्ट अनिर्णायक हैं, और इसलिए, अभियोजन पक्ष बरामद सामग्री और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने में विफल रहा है।

6. श्री ग्रोवर ने कहा कि पी. डब्ल्यू.-9-चमेली सारथी, कांस्टेबल के साक्षय से पता चलेगा कि वह उस स्थान पर गई थी जहाँ से महिला को भेजा गया था।

पीड़ित का शव कथित तौर पर लगभग 06.00 बजे बरामद किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुलिस को पहले से ही उस स्थान के बारे में पता था जहाँ से कथित तौर पर शव बरामद किया गया था।

साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत ज्ञापन।

7. उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी की उंगलियों के नाखून थे

एक नाई पीडब्लू-8-किशोर श्रीवास द्वारा काटा गया और किसी फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा नहीं। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त नाखूनों पर मानव रक्त मिलने की परिस्थिति अभियोजन मामले के लिए कोई काम नहीं है। यह विशेष रूप से नाखून के नमूनों को जब्त करने और उन्हें एफएसएल में भेजने में लंबी देरी को देखते हुए है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि यह असंभव है कि अभियोजन पक्ष इतने कम समय में फोटोग्राफर को बुला सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित वसूली लगभग हो चुकी है।

08.00 जो व्यावसायिक घंटे नहीं हैं, और इस तरह, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में सबूत ही संदिग्ध हो जाते हैं। 8. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पूरे रिकॉर्ड से पता चलेगा कि अपीलार्थी को कोई अधिकार नहीं दिया गया था।

मामले का सार्थक बचाव करने का अवसर। उन्होंने कहा कि तब से

रायगढ़ जिला बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव लिया था कि बार का कोई भी वकील अपीलार्थी की ओर से पेश नहीं होगा, उसके लिए एक वकील को नियुक्त करना मुश्किल था। पैनल की सूची से अदालत द्वारा नियुक्त वकील

वकीलों को भी अपीलार्थी के मामले का बचाव करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू 1 और 2, पीड़ित की माँ और पिता के साक्षय उसी दिन दर्ज किए गए थे जिस दिन अपीलार्थी के लिए वकील नियुक्त किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि निचली अदालत ने अपीलार्थी को उचित अवसर दिए बिना उसी दिन निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश और सजा दर्ज की। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसलिए प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष मामले को आगे साबित करने में विफल रहा है

उचित संदेह और अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. विद्वान वरिष्ठ वकील, वैकल्पिक रूप से, प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी मामले में, तथ्यों में मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्तमान मामले में। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने केवल अपराध के पहलू पर विचार किया है और उन्होंने अपराधी के संबंध में पहलू पर विचार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में नहीं रखा है, इसलिए अपीलार्थी के सुधार या पुनर्वास की संभावना को भी ध्यान में रखा है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में मृत्युदंड का अधिरोपण बिल्कुल भी उचित नहीं है। 10. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री

निशांत पाटिल ने इसके विपरीत कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने सिद्ध परिस्थितियों का संबंध भी स्थापित किया है, जिससे आरोपी के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है।

11. श्री पाटिल ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का जघन्य कृत्य किया है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है।

इस प्रकार, मामला मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य दंड के लिए वारंट नहीं करता है।

12. पक्षों के विद्वान वकील की सहायता से, हमने रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की गहराई से जांच की है। आम तौर पर यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए साक्ष्य के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाएगा। हालाँकि, चूंकि वर्तमान मामले में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है, इसलिए हमने सबूतों की जांच की है

सूक्ष्मता से।

13. के आधार पर मामलों में दोषसिद्धि के संबंध में कानून

गोविंद नरगुंडकर बनाम के पुत्र हनुमंत के प्रसिद्ध मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य '। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मेहर चंद महाजन, जे. के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

" यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

1 1952 एस. सी. आर. 1091 लोचन श्रीवास बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्यों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी

मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य में बहुत कुछ है। अभियुक्त द्वारा किया गया था।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिस्थितिजन्य साक्षय के मामले में दोषसिद्धि को विराम देने के लिए, वे परिस्थितियाँ जिनसे निष्कर्ष निकाला जाता है।

अपराध का निर्धारण किया जाना चाहिए, पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और वे ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। साक्षय की एक ऐसी शृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े, और यह ऐसा होना चाहिए कि यह दिखाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए। 15. तत्पश्चात, यह न्यायालय शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम के मामले में। महाराष्ट्र राज्य 2, इस प्रकार देखा गया:

" 153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामले से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

अभियुक्त को पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता है:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

खींचा जाना पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं। "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था। की स्थिति

महाराष्ट्र [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033: 1973 सी. आर. एल. एल. जे. 1783] जहाँ अवलोकन किए गए थे: [एससीसी पैरा 19, पी। 807 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 1047]

" निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि -

अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

प्रवृत्ति,

(4) उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय इसके कि

साबित करने के लिए एक, और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इसके अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े

अभियुक्त की निर्दोषता और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर एक मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में, कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए। 17. उपरोक्त दृष्टिकोण का इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में लगातार पालन किया गया है।

18. वे परिस्थितियाँ, जिन्हें निचली अदालत ने अपने फैसले में यह अभिनिर्धारित करते हुए स्पष्ट किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को इससे आगे भी साबित किया है

उचित संदेह इस प्रकार हैं:

लोचन श्रीवास बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

आरोपी ने पीडब्लू5 मुन्नी को बताया कि वह स्थान बता सकता है

" 1 .

एक घंटे में लापता पीड़ित की अगर वह पूजा करता है।

पीडब्लू5 मुन्नी पीडब्लू3 को बता रहा है; मो साहिद उर्फ राजू खान क्या

2 .

अभियुक्त ने उसे ऊपर बताए अनुसार बताया था। पीडब्लू 3 एमओ साहिद उर्फ राजू खान पीड़ित के माता-पिता को बता रहे हैं

3 .

उपरोक्त वार्तालाप। मृतक के माता-पिता पीडब्लू1 गुड़िया परवीन और पीडब्लू2

4 .

मो अरमान अभियुक्त को पूजा करने के लिए कहता है।

आरोपी का कहना है कि पीड़ित का शरीर बंदूक में था

5 .

सड़क के किनारे बिजली के खंभे के पास बोरी अम्लीभाउना।

6 .

पीडब्लू3 मो साहिद उर्फ राजू खान ने पुलिस को बताया

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त दावे।

7 .

पुलिस आरोपी और आरोपी से पूछताछ कर रही है

पुलिस के साथ पीड़ित के शव का पता लगाने के लिए

अम्लीभौना में बोरी।

तकिया बरामद करने के लिए पुलिस का नेतृत्व करने वाला आरोपी और

8 .

उसके घर से तौलिया

आरोपी पुलिस को कचरे के ढेर तक ले जाता है जहाँ

9 .

उसने पीड़ित की पैंट फेंक दी थी।

पूजा में प्रयुक्त सामग्री घर से बरामद की जा रही है

10 .

पीड़ित एक्स पी 46 के अनुसार, यह तथ्य कि रक्त नीचे पाया गया था

11 .

अभियुक्त के नाखून और पीड़ित की योनि स्लाइड थी

मानव शुक्राणु के निशान "।

19. उच्च न्यायालय ने भी एक विस्तृत तर्क देते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष ने दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित किया है।

एन अपीलार्थी के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है।

20. अब हम उनकी ओर से दिए गए साक्षय पर विचार करेंगे।

के खिलाफ दोषपूर्ण परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए दंड

लांट।

21. पीडब्लू-1-पीड़ित की माँ गुड़िया परवीन ने उस वेद को डी-29, चौथी मंजिल, बजरंगधीपा कॉलोनी में अपदस्थ कर दिया है। अपीलार्थी उसी इमारत में डी-15 में सीढ़ियों पर रहता था। 24 फरवरी 2016 को लगभग [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने पहली परिस्थिति जो साबित की है, वह यह है कि पीड़ित सुबह लगभग 10.00 पर लापता हो गई थी, और उसके बाद, उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। जब पीड़ित था कहीं भी नहीं मिला, एक मौखिक रिपोर्ट (उदा. - पी. 1) 24 फरवरी 2016 को लगभग 22.00 घंटे में दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर एक एफ. आई. आर. (एक्स.

पी. 36) पंजीकृत हुआ।

वे नहीं मिले, वे लगभग 03.00-04.00 बजे लौट आए। जब वे घर लौटे, तो राजू खान (पीडब्लू-3) ने उन्हें सूचित किया कि अपीलकर्ता-डी-15 निवासी लोचन श्रीवास ने कहा है कि अगर वे उसे पूजा करने की अनुमति देंगे, तो वह एक घंटे में बच्चे को ढूंढ लेगा। फिर, पीडब्लू-1 पूजा करने के लिए सहमत हो गया। उसने आवश्यक चीजों की व्यवस्था की पूजा-सिंदूर, नींबू, मिट्टी के दीपक, अगरबत्ती और कोयला। इन चीजों को लाने के बाद, अपीलार्थी ने पीडब्लू-1 के कमरे में पूजा की। उन्होंने उन्हें अल्लाह के सभी चित्रों को कपड़े से ढकने के लिए कहा था। पूजा करने के बाद, अपीलार्थी ने उन्हें बताया कि बच्चा अम्लीभौना में सड़क के किनारे एक खंभे के पास झाड़ियों में एक बोरे के अंदर था।

24. इसी तरह का प्रमाण पीडब्लू-2-मोहम्मद का भी है। अरमान, पीडब्लू-1 का पति और पीड़ित का पिता। पीडब्लू-3-राजू खान, जो एक पड़ोसी है, ने अपने साक्षय में कहा था कि जब वे पीड़ित को नहीं ढूंढ सके, तो वे लगभग 03.00-03.30 पर लौट आए। उन्होंने कहा कि जब वे लौटे तो मुन्नी उर्फ सरबरी (पीडब्लू-5) ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता-लोचन श्रीवास, डी-15 में रहने वाला उसे बता रहा था कि बच्चे का पता पूजा से लगाया जा सकता है। तदनुसार, पूजा की गई, और उसके बाद, अपीलकर्ता-लोचन ने कहा कि पीड़ित अम्लीभौना रोड के पास एक खंभे के पास झाड़ियों में एक बोरे के अंदर था।

लोचन श्रीवास बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

25. पीडब्लू-5-मुन्नी उर्फ सरबरी, जो बजरंगधीपा कॉलोनी की निवासी भी है, ने बताया कि वह भी पीड़ित की तलाश में शामिल हुई थी। हालाँकि, चूंकि पीड़ित नहीं मिला, वे वापस आ गए। 25 फरवरी 2016 को लगभग 03.00-03.30 बजे, अपीलार्थी उससे मिला और कहा, "यदि आप पूजा करते हैं, तो आपका बच्चा मिल जाएगा।" उसने राजू खान (पीडब्लू-3) को भी यही बताया। फिर, अपीलार्थी ने पूजा की और कहा कि मृतक अम्लीभौना में सड़क के किनारे एक खंभे के पास झाड़ियों में एक बोरे के अंदर था।

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष इससे परे साबित हुआ है

उचित संदेह है कि अपीलार्थी ने अपने दम पर पीडब्लू-5-मुन्नी उर्फ सरबरी से कहा कि अगर पूजा की जाती है, तो पीड़ित का ठिकाना पाया जा सकता है। पीडब्लू-5-मुन्नी उर्फ सरबरी ने इस तथ्य की जानकारी पीडब्लू-3 राजू खान को दी, जिन्होंने बदले में पीडब्लू 1 और 2 को इसकी सूचना दी। तदनुसार, एक पूजा की जाने लगी। पूजा के बाद, अपीलार्थी ने उन्हें बताया कि पीड़ित को अम्लीभौना में सड़क के किनारे एक खंभे के पास झाड़ियों में एक बोरे में पाया जा सकता है।

27. पीडब्लू-19-अमित पैटली, उप-निरीक्षक, जांच अधिकारी (इसके बाद "आईओ" के रूप में संदर्भित) ने पूजा करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को भी जब्त कर लिया है। - पी. 18)। उक्त पंचनामा राजू खान (पीडब्लू-3) द्वारा देखा जाता है। उक्त जब्ती पंचनामा

इसलिए पीडब्लू 1,2,3 और 5 के ऑक्युलर संस्करण की पुष्टि करता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब पीडब्लू 1,2,3 और 5 अपने निवास स्थान पर लौटे, तो अपीलार्थी ने पीडब्लू-5 को सूचित किया कि यदि वे पूजा करते हैं,

मृतक मिल सकता है। तदनुसार, पूजा की गई।

वेंकटेश और एक अन्य वी। कर्नाटक राज्य 3. 28. अगली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, वह है पीड़ित के शव की बरामदगी।

3 3 (1979) 3 एससीसी 90 4 (1972) 1 एससीसी 249 5 (2005) 7 एससीसी 714 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का ज्ञापन। पीडब्लू 1,2,3 और 5 के साक्षय से पता चलता है कि अपीलार्थी द्वारा पूजा करने और उन्हें यह बताने के तुरंत बाद कि पीड़ित अम्लीभौना में सड़क के किनारे एक खंभे के पास झाड़ियों में एक बोरे के अंदर था, एक संदेह पैदा हुआ और राजू खान (पीडब्लू-3) ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पुलिस पहुंची। चारों गवाहों की गवाही इस संबंध में सुसंगत है। आई. ओ. (पीडब्लू-19) अमित पैटले ने भी उक्त जानकारी प्राप्त करने वाली पुलिस के संबंध में इस तथ्य की पुष्टि की। अपने साक्षय में, पीडब्लू 19 ने कहा कि उसने उक्त जानकारी को 25 फरवरी 2016 को सुबह 06.10 पर रोजनामचा नंबर 2 में दर्ज किया। उक्त रोजनामचा प्रविष्टि है

एक्स में प्रदर्शित किया गया। - पी. 38 और इसकी सत्यापित प्रति पूर्व में है। - पी. 38-सी. 29. पीडब्लू-19 ने अपने साक्षय में कहा कि सूचना प्राप्त करने के बाद, वह तुरंत मौके पर गया और अपीलार्थी को अपनी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी ने पूछताछ किए जाने पर इस प्रकार कहा:

" पिछले दिन 24.02.2016 पर, लगभग 10 बजे: 00 , वह अपने कमरे में अकेला था। मृतक जो अपने घर के ऊपर की मंजिल पर डी-29 में रहता था, नीचे आ रहा था जिसे उसने मना लिया। और अपने कमरे में ले गया और अंदर से अपना कमरा बंद कर दिया और मृतक द्वारा पहनी गई पैंट को हटा दिया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच, मृतक जोर से रोने लगा, इसलिए उसने मृतक के मुंह और नाक को तकिए से दबाया। शारीरिक संबंध बनाकर, अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया, जिसे देखकर वह घबरा गया और यह सोचकर कि रहस्य का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, उसने मृतक का गला घोंटकर हत्या कर दी और खून पोंछ दिया और कमरे में रखे तौलिए से उसके लिंग पर स्खलन किए गए शुक्राणु की हत्या कर दी। उसने मृतक के हाथ और पैर मोड़कर उसके शव को दाल की प्लास्टिक की बोरी में भर दिया। उसने थैले को प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया। उन्होंने अपने कपड़े पहने हुए थे। उसने मृतक द्वारा पहनी गई पैंट को एक पॉलिथीन में भर दिया और उसे बालकनी से उस स्थान पर फेंक दिया जहां

कचरा फेंका जाता है और कमरे में प्रवेश करते हुए मृतक के शव को एक पीले बैग में रख दिया, जिसे उसने प्लास्टिक की बोरी में भर दिया था। उसने कमरे को बंद कर दिया, थैले को हाथों में ले लिया और शव को अमलीभूना रोड पर बिजली के खंभे के पास एक झाड़ी में छिपाने के लिए पैदल चला गया और लौटने पर थैले को अपने घर में रखने और जिस तकिए से उसने मृतक की नाक और मुंह को दबाया था और जिस तौलिये से उसने अपने लिंग पर खून और वीर्य को पोंछा था, उसे अपने लोचान श्रीवास v में रखने के बारे में बताया।

छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

कमरा और मृतक के शव को प्राप्त करने के बारे में कहा, उसे

पैंट, तकिया और तौलिया बरामद किया गया।

30. साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत ज्ञापन विवरण को विधिवत निष्पादित किया गया था और इसे पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया था। - पी. 11. द.

अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-3-राजू खान से पूछताछ की है, जो उक्त ज्ञापन बयान के गवाह हैं।

31. पीडब्लू-19 ने आगे कहा कि इसके बाद, की उपस्थिति में

गवाहों, उन्होंने भारत का नक्शा और "नंबर 1 डल बेस्ट क्वालिटी डल" लिखा हुआ एक नीला प्लास्टिक बैग बरामद किया, जिसे प्लास्टिक की रस्सी से बांधा गया था। उसने मृतक के पिता (पीडब्लू-2) और अन्य गवाहों की उपस्थिति में राजू खान (पीडब्लू-3) द्वारा काटा गया थैला खोला। उक्त में

बोरी, खून से लथपथ और नग्न अवस्था में पीड़ित का शव मिला। शव की पहचान पीडब्लू-2 द्वारा की गई थी, जो मृतक के पिता हैं। पुनर्प्राप्ति पंचनामा को पूर्व के तहत विधिवत निष्पादित किया जाता है। - पी. 12. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-3 के साक्षय पर भरोसा किया है, जो उक्त पंचनामे के पंच गवाह थे।

32. साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी के ज्ञापन पर उक्त वसूली पर बचाव पक्ष द्वारा हमला किया गया है।

यह आधार कि यह एक खुली जगह से है, सभी के लिए सुलभ है। इस संबंध में, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा करना उचित है। जीत सिंह ":

" 26. साक्षय अधिनियम की धारा 27 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियुक्त के बयान को अस्वीकार्य बनाता है यदि वस्तुओं की बरामदगी किसी भी स्थान से की गई थी जो "दूसरों के लिए खुली या सुलभ" है। यह एक गलत धारणा है कि जब किसी की वसूली होती है

आपत्तिजनक लेख एक ऐसी जगह से बनाया गया था जो दूसरों के लिए खुला या सुलभ हो, यह साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्षय को दूषित कर देगा। किसी भी वस्तु को उन स्थानों पर छिपाया जा सकता है जो खुले हों या दूसरों के लिए सुलभ हों। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु को मुख्य सड़क के किनारे दफनाया जाता है या यदि इसे सार्वजनिक स्थानों पर पड़े सूखे पत्तों के नीचे छुपाया जाता है या सार्वजनिक कार्यालय में छिपा दिया जाता है, तो वस्तु सामान्य रूप से दूसरों की दृश्यता से बाहर रहेगी। परिस्थितियाँ। जब तक इस तरह की
वस्तु को अलग नहीं किया जाता, तब तक इसकी छिपी हुई स्थिति निर्बाध रहेगी। जिस व्यक्ति ने इसे छुपाया वह अकेले जानता है कि यह कहाँ है जब तक कि वह उस तथ्य को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताता। इसलिए,

महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि क्या यह स्थान सुलभ था

6 (1999) 4 एससीसी 370 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य या नहीं, लेकिन क्या यह आम तौर पर दूसरों को दिखाई देता था। यदि ऐसा नहीं है, तो यह मायने नहीं रखता कि छिपी हुई जगह सुलभ हो।

अन्य "।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो प्रासंगिक है वह यह नहीं है कि यह स्थान दूसरों के लिए सुलभ था या नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह

यह आम तौर पर दूसरों को दिखाई देता था। यदि जिस स्थान पर वस्तु छिपी हुई है वह ऐसी है जहां केवल उसे छिपाने वाला व्यक्ति ही जानता है जब तक कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उस तथ्य का खुलासा नहीं करता है, तो यह मायने नहीं रखेगा कि छिपी हुई जगह क्या है। दूसरों के लिए सुलभ है।

33. जॉन पांडियन बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु:

" 57. इसके बाद विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यह एक खुली जगह है और कोई भी वीचू अरुवल लगा सकता है। यह एक बहुत दूर की संभावना प्रतीत होती है। कांटेदार झाड़ी के नीचे लगाए गए वीचू अरुवल का उत्पादन कोई भी नहीं कर सकता है। यह खोज विश्वसनीय प्रतीत होती है। दोनों ने स्वीकार किया

नीचे की अदालतें हैं और हमें इसे त्यागने का कोई कारण नहीं मिलता है। यह इस तथ्य के अलावा है कि इस हथियार को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया था और यह मानव

रक्त से सना हुआ पाया गया है। हालांकि रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि परिणाम अनिर्णायक थे, आरोपी को कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ा कि इस हथियार पर मानव रक्त कैसे आया। उसने कुछ नहीं दिया। यह खोज बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी

अभियोजन मामला "।" 9

अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी कि उसने शव को अम्लीभौना में सड़क के किनारे एक खंभे के पास झाड़ियों में एक बोरे में छिपा दिया था। पीडब्लू-7 के साक्षय-फोटोग्राफर कृष्ण कुमार जयसवाल से पता चलता है कि नोटिस मिलने के बाद वह मौके पर गए और तस्वीरें खींची (उदा. - पी. 23)। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने यह भी किया है पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी।

35. उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के पैरा (35) में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा:

(2010) 14 एस. सी. सी. 129 लोचन श्रीवास बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

" 35. हमने तैयार की गई वीडियो फिल्म देखी है और वीडियो देखने के बाद, हमारा मानना है कि शव की बरामदगी एक ऐसी जगह से की गई थी जिसे शरीर के रूप में पूर्व जानकारी के बिना एक आम व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं कहा जा सकता है।

बरामद सामान को मुख्य सड़क से पर्याप्त दूरी पर स्थित झाड़ियों के अंदर एक बोरे में छिपा कर रखा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए बयान में आरोपी/अपीलार्थी स्पष्टीकरण देने में विफल रहे उसे कैसे पता चला कि मृतक की हत्या कर दी गई थी और उसे बोरे में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया गया था।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं वीडियो देखा था और उसी को देखने पर, यह विचार था कि शव की बरामदगी एक ऐसी जगह से की गई थी, जिसे बिना पूर्व जानकारी के एक आम व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बरामद शव को पर्याप्त दूरी पर स्थित झाड़ियों के अंदर एक बोरे में छिपा कर रखा गया था।

मुख्य सड़क से दूरी।

36. जहाँ तक निर्णय पर अपीलार्थी द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है

कृष्ण मोहर सिंह दुग्गल बनाम के मामले में इस न्यायालय का। गोवा राज्य 3 का संबंध है, उक्त मामले में, अभियुक्त को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 20 (बी) (ii) के

तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, केवल साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत ज्ञापन बयान के आधार पर अभियुक्त के कहने पर वसूली के आधार पर। उक्त मामले में, वसूली नारियल के पेड़ के नीचे एक जगह से था, जो सभी के लिए सुलभ था। यह किसी स्थान पर छिपाने का मामला नहीं था, जो केवल उसे छिपाने वाले व्यक्ति के ज्ञान में था। किसी भी मामले में,

उक्त मामले में, दोषसिद्धि पूरी तरह से उक्त वसूली के आधार पर थी और इस तरह, असमर्थनीय पाया गया।

37. जहाँ तक नीलेश दिनकर पराडकर बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अपीलार्थी द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है। की स्थिति महाराष्ट्र 'का संबंध है, उक्त मामले में, दोषसिद्धि पूरी तरह से आवाज द्वारा पहचान के आधार पर थी और इस तरह, मान्य नहीं पाया गया। इस प्रकार, ये मामले अपीलार्थी के मामले में किसी भी सहायता के नहीं होंगे।

38. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि पीडब्लू-9-चमेली सारथी के साक्षय से यह स्पष्ट है कि पुलिस

8 (1999) 8 एस. सी. सी. 552 9 9 (2011) 4 एससीसी 143 [2021] 14 एस. सी. आर.

पहले से ही उस जगह के बारे में पता था जहाँ शव छिपा हुआ था। पीडब्लू

9 मृतक के शव को जिला अस्पताल, रायगढ़ ले जाया गया था। पीडब्लू-9 के बयान के प्रासंगिक हिस्से को संदर्भित करना उचित होगा:

" हम चौकी से सुबह 6 बजे घटना स्थल अम्लीभोना गए। वहाँ से हम सभी के साथ सीधे अस्पताल गए। आज, मैं यह नहीं बता सकता कि हम किस समय घटना स्थल अमलीभोना से निकले थे। गवाह अब कहता है, "शायद हम 8 से 9 बजे रवाना हुए। प्रकाश तिवारी के साथ उप-निरीक्षक अमित पाटले भी मेरे साथ मौजूद थे और अन्य पुलिस थानों के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। दो लोग ऑटो-रिक्शा में शव लेकर आगे जा रहे थे, हम अपनी बाइक से उनका पीछा कर रहे थे।

पीडब्लू-9 ने बताया कि वह चौकी से सुबह 06.00 पर घटना स्थल अम्लीभौना गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू 1,2,3 और 19 के साक्षय के अनुसार, पीडब्लू-3 ने पीडब्लू-19 को सुबह लगभग 06.00 पर घटना के बारे में सूचित किया। उक्त जानकारी रोजनामचा में लगभग 06.10 बजे दर्ज की गई थी। इस गवाह द्वारा जो कहा गया है वह यह है कि वह अम्लीभौना गई थी जो एक इलाका है। हालाँकि, यह अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि पुलिस को पहले से ही

उस स्थान के बारे में पता था जहाँ से शव बरामद किया गया था। उसने कहा कि वह लगभग 08.00-09.00 बजे अस्पताल के लिए रवाना हुई थी। गवाह के साक्षय को टुकड़ों में नहीं पढ़ा जा सकता है। साक्षय को समग्र रूप से पढ़ना होगा। यदि इस गवाह के साक्षय को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो उसके साक्षय पर हमला उचित नहीं है। किसी भी मामले में, अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी पर शरीर की बरामदगी, ज्ञापन द्वारा विधिवत साबित होती है।

साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का (उदा. - पी. 11) और पुनर्प्राप्ति पंचनामा (उदा. - पी. 12)। इसके अलावा, पीडब्लू 1,2,3,5 और 19 की मौखिक गवाही इसकी पुष्टि करती है।

39. इसलिए हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी के ज्ञापन पर मृतक के शव की बरामदगी, अपीलार्थी की जानकारी में स्पष्ट रूप से एक स्थान से हुई थी।

40. अपीलार्थी के विरुद्ध एक अन्य परिस्थिति की वसूली है -

मृतक की काली जींस आधा पैंट (उदा। - पी. 15) डंपिंग क्षेत्र से और गमछा और तकिया (उदा. - पी. 16) अपीलार्थी के घर से। पीडब्लू-3 ब्लैक जींस हाफ पैंट (एक्स। - पी. 15)। वह स्पॉट पंचनामा का भी गवाह है। - पी. 17) जहाँ पूजा की गई थी। यह आगे उल्लेख किया गया है कि लोचन श्रीवास बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

अपीलार्थी के घर से एच. एच. ए. जब्त किए गए, खून के धब्बे पाए गए। बचाव पक्ष द्वारा इस आधार पर हमला किया गया है कि एफ. एस. एल. आर. टी. अपीलार्थी को एच. एच. ए. पर पाए गए उक्त रक्त से नहीं जोड़ता है। इस निवेदन पर विचार करने के लिए, हम आर. शाजी बनाम के मामले में इस न्यायालय की विंग टिप्पणियों का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं। की स्थिति

ला 1 0:

" 30. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चूँकि हेलीकॉप्टर पर पाए गए रक्त के धब्बों के रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका है, इसलिए उक्त हेलीकॉप्टर की बरामदगी नहीं हो सकती है।

भरोसा रखें।

31. रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में सीरोलॉजिस्ट की विफलता

सीरम के विघटन का मतलब यह नहीं है कि

जमावट, कि एक सीरोलॉजिस्ट रक्त की उत्पत्ति का पता लगाने में विफल हो सकता है। हालाँकि, ऐसे मामले में, जब तक कि संदेह एक उचित आयाम का न हो, जिसे एक न्यायिक रूप से कर्तव्यनिष्ठ मन कुछ निष्पक्षता के साथ ग्रहण कर सकता है, इस संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। एक बार जब अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में वसूली की जाती है, तो मिलान या रक्त समूह (ओं) का गैर-मिलान महत्व खो देता है। (प्रभु बाबाजी नवल बनाम। बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 51 1956 सी. आर. आई.

एलजे 147], राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर 1963 एस. सी. 74: (1963) 1 क्राई एल. जे. 70], राजस्थान राज्य बनाम। तेजा राम [(1999) 3 एससीसी 507: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 436], गुरा सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [(2001) 2 एस. सी. सी 205: 2001 एससीसी (सीआरआई) 323: ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 330], जॉन पांडियन बनाम। राज्य [(2010) 14 एस. सी. सी 129: (2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 550] और सुनील क्लिफोर्ड डेनियल बनाम। पंजाब राज्य [(2012) 11 एस. सी. सी 205: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 438]। 32. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पाया कि इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि रक्त की उत्पत्ति के बारे में एक रिपोर्ट के अभाव में, आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह केवल समय बीतने के कारण है कि रक्त को सफलतापूर्वक वर्गीकृत नहीं किया जा सका है। अतः अभियुक्त को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है जिससे वह किसी भी लाभ का दावा कर सके।

रक्त के विघटन आदि की रिपोर्ट को एक लापता कड़ी नहीं कहा जा सकता है, जिसके आधार पर परिस्थितियों की श्रृंखला हो सकती है टूटा हुआ माना जाता है "।

41. अगली परिस्थिति अपीलार्थी के नाखून पर खून के धब्बों का पता लगाना है। पीडब्लू-8-किशोर श्रीवास एक नाई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने अपीलार्थी के दोनों हाथों की कील काट दी। उक्त नाखूनों को पंचनामे Ex.-P. 19 के तहत काटा गया था, जिस पर उक्त नाई के साथ-साथ पीडब्लू-3 द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त परिस्थिति पर इस आधार पर हमला किया जाता है कि आई. ओ. ने उक्त नाखूनों को जब्त करने के लिए फोरेंसिक टीम को नहीं बुलाया था। हालांकि, अगर यह परिस्थिति को बाहर रखा गया है, हम पाते हैं कि अन्य परिस्थितियाँ, जिन पर हमने पूर्वगामी पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की है,

42. पंचनामों पर इस आधार पर हमला करने की कोशिश की जाती है कि पीडब्लू-3 इन सभी पंचनामों का एकमात्र पंच गवाह है। हमारा विचार है कि हिमाचल प्रदेश के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों के आलोक में यह तर्क किसी भी योग्यता का हकदार नहीं है। प्रशासन (ऊपर):

" 10. इसके अलावा यह अभिनिर्धारित करते हुए यह कहा गया कि अगर उनके खिलाफ कुछ भी आग्रह नहीं किया जा सकता है तो गवाहों के एक ही समूह के लगातार पूछताछ में उपस्थित होने के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं है। हमारे विचार में बरामदगी से संबंधित साक्षय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 103 के तहत विचार किए गए साक्षय के समान नहीं है, जहां दो लोगों की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता होती है।

या उस इलाके के अधिक निवासी जहाँ तलाशी ली जानी है। धारा 157 के तहत एक जांच में बरामदगी को जांच अधिकारी के एकमात्र साक्षय से भी साबित किया जा सकता है यदि उसके साक्षय पर अन्यथा विश्वास किया जा सकता है। हम कानून या व्यवहार के मामले के रूप में यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि जहां अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी पर विभिन्न स्थानों से वसूली की जानी है, उन्हें देखने के लिए विभिन्न समूहों के व्यक्तियों को बुलाया जाना चाहिए। इस मामले में पीडब्लू 2 और पीडब्लू 8 जो मृतक के साथ काम करते थे, वे वसूली को देखने के लिए उचित व्यक्ति थे क्योंकि वे कुछ चीजों की पहचान कर सकते थे जो गायब थीं और वे दोनों जानकारी और उसके परिणामस्वरूप की गई वसूली से बात कर सकते थे। वैसे भी पीडब्लू 2, जिसे कथित तौर पर सबसे अधिक रुचि रखने वाला बताया जाता है, उपस्थित नहीं था।

खंजर की बरामदगी के समय "। लोचन श्रीवास बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

43. इसलिए हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितियों को उचित संदेह से परे स्थापित किया है:

((i)

पीड़ित के लापता होने की सूचना दी गई और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इस संबंध में;

((ख)

अपीलार्थी ने दावा किया था कि वह इसका खुलासा कर सकता है पूजा करके पीड़ित का पता;

(iii)

उक्त पूजा अपीलार्थी द्वारा आयोजित की गई थी

25 फरवरी 2016 के शुरुआती घंटों में पीडब्लू 1,2,3 और 5 की उपस्थिति में और अपीलार्थी ने उन्हें बताया कि पीड़ित का शव झाड़ियों में एक बोरे के अंदर था

अम्लीभौना में सड़क के किनारे एक खंभे के पास;

((iv) पीडब्लू 1,2,3 और 5 के मन में संदेह पैदा हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। उक्त जानकारी

पूर्व के तहत रोजनामचा नंबर 2 में दर्ज किया गया है। - पी. 38;

(v)

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूछताछ की।

अपीलार्थी। पूछताछ पर, धारा के तहत एक ज्ञापन

27 साक्षय अधिनियम का अभिलिखित किया गया;

(vi) साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी के ज्ञापन के आधार पर, पीड़ित का शव (उदा. पी. 12) एक बोरे से बरामद किया गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा झाड़ियों के नीचे एक स्पष्ट रूप से अंदर की जगह से छुपाया गया था।

उसका ज्ञान; और

(vii) साक्षय अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी के एक ज्ञापन पर, पीड़ित की एक काली जींस आधी पैंट (उदा. पी. 15) और अपीलार्थी का एक गमछा (उदा. - पी. 16), क्रमशः नगर निगम कॉलोनी में डी ब्लॉक के पीछे के डंपिंग क्षेत्र और अपीलार्थी के घर से बरामद किए गए थे।

44. हमारा विचार है कि उपरोक्त बात सिद्ध हो गई है।

परिस्थितियाँ परिस्थितियों की एक श्रृंखला स्थापित करती हैं, जो नहीं अपीलार्थी के अपराध के अलावा अन्य निष्कर्ष। इसके अलावा, धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए बयान में, हालांकि ये सभी

अपीलार्थी के सामने दोषपूर्ण परिस्थितियाँ रखी गई हैं, उसने यह कहने के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यह गलत और गलत है। इस संबंध में, हम इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं -

शरद बर्डहिचंद सारदा (ऊपर) का मामला:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 151. यह अच्छी तरह से तय है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और वह बचाव पक्ष की कमजोरी से कोई ताकत हासिल नहीं कर सकता है। यह एक तुच्छ कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में जो हुआ है वह केवल यह है: जहाँ विभिन्न एक शृंखला में लिंक अपने आप में पूर्ण होते हैं, तो एक झूठी याचिका या झूठे बचाव को केवल अदालत को आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लिंक का उपयोग करने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि शृंखला में सभी लिंक पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन मामले में कोई कमजोरी या कमी है, वही हो सकती है

एक झूठे बचाव या एक याचिका द्वारा इलाज या आपूर्ति जो स्वीकार नहीं की जाती है

एक अदालत से।

45. यह एक तुच्छ कानून है कि हालांकि गलत व्याख्या को परिस्थितियों की शृंखला में एक लापता कड़ी को पूरा करने के लिए नहीं लिया जा सकता है, यह निश्चित रूप से हो सकता है

सिद्ध दोषपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर अभिलिखित दोषसिद्धि के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए लिया गया। हम पाते हैं कि परिस्थितियों का गैर-स्पष्टीकरण निष्कर्ष को मजबूत करेगा, जो दोषपूर्ण परिस्थितियों की शृंखला पर आधारित है जो अपीलार्थी के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती है।

46. वर्तमान अपीलों में विचार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू उत्पन्न होता है और इसी तरह विभिन्न अन्य अपीलों में भी जहां अभियुक्त को मामले का बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है। वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि आरोप 6 मई 2016 को बनाए गए थे। 6 जून 2016 को, आरोपी अदालत के समक्ष पेश हुआ और प्रस्तुत किया कि वह अपने खर्च पर एक वकील को नियुक्त करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार, मुकदमा

न्यायाधीश ने पैनल से श्री कमलेश सराफ को अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील के रूप में नियुक्त किया। अगले दिन तुरंत, सबूत

पीडब्लू 3 से 7 दर्ज किए गए। ट्रायल जज ने 17 जून 2016 को फैसला और दोषसिद्धि का आदेश पारित किया और उसी दिन मौत की सजा भी सुनाई। हम पाते हैं कि हालांकि एक त्वरित परीक्षण वांछनीय है,

अभियुक्त के वकील को नियुक्त किए जाने के बाद मामले की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। यहाँ तक कि जहाँ तक

जब मृत्युदंड दिया गया था। हालाँकि, जिन साक्षयों की हमने गहराई से जांच की है, उनसे हम यह नहीं पाते हैं कि कोई पूर्वाग्रह था अदालत द्वारा नियुक्त वकील द्वारा गवाहों से विस्तार से जिरह की गई है।

लोचन श्रीवास बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

47. यह हमें वाक्य के सवाल के साथ छोड़ देता है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वर्तमान मामले में मृत्युदंड हैउचित है या नहीं।

48. हाल ही में, यह अदालत मोहम्मद के मामले में। मन्नान उर्फ

अब्दुल मन्नान बनाम। बिहार राज्य ", पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद

बचन सिंह बनाम के मामलों में वर्तमान मुद्दे पर इस न्यायालय का। पंजाब राज्य 1 2 और माची सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य 1 3,इस प्रकार देखा गया:

" 72. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो कानून का प्रस्ताव सामने आता है, वह अपने आप में मौत की सजा है, सिवाय इसके कि दुर्लभतम मामलों में , जिनके लिए विशेष कारण दर्ज किए जाने हैं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) में अनिवार्य है। यह तय करने में कि क्या कोई मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है, क्रूरता, और/या अपराध की वीभत्स और/या जघन्य प्रकृति एकमात्र मानदंड नहीं है। यह केवल अपराध नहीं है जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना है, बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि को भी ध्यान में रखना है। पुरस्कार प्रदान करना

मृत्युदंड एक अपवाद है, और आजीवन कारावास नियम है।

49. यह पीठ, हाल ही में, मोफिल खान और एक अन्य बनाम के मामले में। झारखंड राज्य ने इस प्रकार देखा है:

" 8. कम करने वाली परिस्थितियों में से एक अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना है। राज्य का कर्तव्य है कि वह यह स्थापित करने के लिए सबूत जुटाए कि अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, सिवाय दुर्लभतम मामलों के जब कम सजा का वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से हो।

पूर्वनिर्धारित (देखें): बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684)। यह संतुष्ट करने के लिए कि सजा का उद्देश्य सुधार है असंभव ,
आजीवन कारावास को पूरी तरह से व्यर्थ बताते हुए, अदालत को इस बात के स्पष्ट सबूत को उजागर करना होगा कि दोषी किसी भी प्रकार की सुधारात्मक और पुनर्वास योजना के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। यह विश्लेषण केवल कठोरता के साथ किया जा सकता है जब न्यायालय अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी से संबंधित परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

1 1 (2019) 16 एससीसी 584

2 (1980) 2 एस. सी. सी. 684

3 (1983) 3 एस. सी. सी. 470

4 आपराधिक अपील में आर. पी. (आपराधिक) संख्या No.1795/2009 दिनांक 26.11.2021 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिस्थितियाँ (देखिए: संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम।

महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498)। राजेन्द्र में प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एससीसी

460 , इस न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि करने वाले इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 45. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि एक दोषी को समाज में सुधार और पुनर्वास की संभावना (संभावना या असंभवता या असंभवता नहीं) गंभीरता से और ईमानदारी से होनी चाहिए।

मृत्युदंड देने से पहले अदालतों द्वारा विचार किया जाता है। यह "विशेष कारणों" के आदेशों में से एक है।

धारा 354 (3) सी. आर. पी. सी. की आवश्यकता और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को खत्म करना शामिल है। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह साक्षय के माध्यम से अदालत को साबित करे कि संभावना यह है कि दोषी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, जेल में उसके आचरण के बारे में सामग्री, जेल के बाहर उसके आचरण, अगर वह कुछ समय से जमानत

पर है, तो उसके मानसिक बनावट के बारे में चिकित्सा साक्षय, उसके परिवार के साथ संपर्क आदि को रिकॉर्ड में लाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह, दोषी इन मुद्दों पर भी सबूत पेश कर सकता है। " " "

50. वर्तमान मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था और उसी पर मौत की सजा सुनाई थी

एक दिन। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने केवल अपराध पर विचार किया है, लेकिन उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है

अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि। इस मोड़ पर, राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। की स्थिति

महाराष्ट्र 1 5:

" 47. सुधार, पुनर्वास और

दोषी के समाज में पुनः एकीकरण पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। जब तक बचन सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580], अदालतों द्वारा दिया गया जोर मुख्य रूप से अपराध की प्रकृति, इसकी क्रूरता और

गंभीरता। बचन सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] ने सजा सुनाई।

15 (2019) 12 एस. सी. सी. 460 लोचन श्रीनिवास बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

परिप्रेक्षय में प्रक्रिया और दोषी के सुधार या पुनर्वास पर विचार करने की आवश्यकता को पेश किया। संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बावजूद, कई हैं

उदाहरण, जिनमें से कुछ का उल्लेख बरियार [संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एस. सी. सी. 498: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1150] और संगीत बनाम. हरियाणा राज्य [संगीत बनाम। हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] जहाँ अपराध को प्रधानता देने और अपराधी को कुछ हद तक गौण तरीके से मानने की प्रवृत्ति है। जैसा कि संगीत में देखा गया है [संगीत v. हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 611] "सजा सुनाने की प्रक्रिया में अपराध और अपराधी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।" इसलिए, हमें यह नहीं भूलना

चाहिए कि अपराधी, चाहे वह कितना भी निर्दयी क्यों न हो, फिर भी एक इंसान है और अपने अपराध के बावजूद गरिमापूर्ण जीवन का हकदार है। इसलिए, यह अभियोजन पक्ष और अदालतों को निर्धारित करना है कि क्या ऐसा व्यक्ति, इसके बावजूद

उसके अपराध में सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे किया जाना चाहिए। पुनर्वास की प्रक्रिया भी सरल नहीं है क्योंकि इसमें दोषी का समाज में सामाजिक पुनर्एकीकरण शामिल है। बेशक, उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी और रिकॉर्ड पर साक्षय के साथ विशेषज्ञों द्वारा इसके विश्लेषण के बावजूद, वहाँ

ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दोषी का सामाजिक पुनर्एकीकरण संभव न हो। यदि ऐसा होना चाहिए, तो लंबे समय तक कारावास का विकल्प स्वीकार्य है।

51. तय कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अभियुक्त के सुधार की संभावना को ध्यान में रखें

और पुनर्स्थापित किया गया। न केवल अपराध बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना हमारा कर्तव्य है। 52. अपीलार्थी एक युवा व्यक्ति है, जो अपराध करने के समय 23 वर्ष का था। वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं।

राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास के संबंध में कोई संभावना नहीं है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत ने भी मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है। अपीलार्थी ने अपीलार्थी के छोटे भाई लीलाधर श्रीवास के साथ-साथ उनके हलफनामों को भी रिकॉर्ड में रखा है।

घसानिन श्रीवास, अपीलार्थी की बड़ी बहन। हलफनामों का अवलोकन [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह पता चलेगा कि अपीलार्थी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसलदा नामक एक छोटे से गाँव से आता है। उनके पिता नाई के रूप में अपनी आजीविका कमा रहे थे। अपीलार्थी अध्ययनशील और मेहनती था। उन्होंने स्कूल में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया और परिवार को स्कूल से बाहर लाने के लिए लगातार प्रयास किए।

गरीबी। जेल में अपीलार्थी का आचरण संतोषजनक पाया गया है। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। यह पहला अपराध है।

अपीलार्थी द्वारा प्रतिबद्ध। इसमें कोई संदेह नहीं है, एक जघन्य। अपीलार्थी कठोर अपराधी नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के सुधार किए जाने और पुनर्वासित किए जाने की कोई संभावना नहीं है, जिससे कम सजा के वैकल्पिक विकल्प को बंद कर दिया जाए और मौत की सजा को अनिवार्य बना दिया जाए।

53. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ को सुनील बनाम के मामले में इसी तरह के तथ्यों पर विचार करने का अवसर मिला। मध्य राज्य

प्रदेश "। उक्त मामले में भी, अपीलार्थी-अभियुक्त की आयु लगभग 25 वर्ष थी जो एक नाबालिग लड़की को ले गया था। अभियुक्त ने कहा था

उक्त नाबालिग के साथ बलात्कार किया और गला घोंटने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। निचली अदालत ने आरोपी को सुनाई थी सजा आई. पी. सी. की धारा 363,367,376 (2) (एफ) और 302 के तहत दंडनीय अपराध और उसे मौत की सजा दी गई। उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था। अपील में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 12. वर्तमान मामले में, हम यह नहीं पाते हैं कि बचन सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] और उसके बाद की घोषणाओं ने किसी भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया था। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त के पक्ष में स्वीकार की जाने वाली मजबूर करने वाली/कम करने वाली परिस्थितियों में से एक वह कम उम्र है जब उसने अपराध किया था। तथ्य यह है कि अभियुक्त को सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है; संभावना

कि अभियुक्त इसी तरह के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा; कि अभियुक्त समाज के लिए निरंतर खतरा नहीं होगा, ऐसी अन्य परिस्थितियाँ हैं जिनकी उपेक्षा की जा सकती थी। विद्वत विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय।

13. हमने उपरोक्त के आलोक में इस मामले पर विचार किया है। इस तरह के विचार पर, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि हम मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देते हैं। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। द.

1 6 (2017) 4 एस. सी. सी. 393 लोचन श्रीवास बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 363,367 और 376 (2) (एफ) के तहत अपराधों के लिए दिए गए दंड और

उच्च न्यायालय का रखरखाव किया जाता है "।

54. हम भी वही तर्क अपनाने और उसी मार्ग का अनुसरण करने के लिए इच्छुक हैं जो इस न्यायालय ने सुनील (उपरोक्त) के मामले में अपनाया था। इसलिए अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। आई. पी. सी. की धारा 376 ए और आई. पी. सी. की धारा 6 के साथ पठित धारा 363,366,376 (2) (आई), 377,201,302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश

पॉक्सो अधिनियम बनाए रखा जाता है। हालाँकि, अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत लगाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। निचली अदालत द्वारा बाकी अपराधों के लिए दी गई सजा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, बरकरार रखी जाती है।

55. फैसला देने से पहले, हमें विद्वान वरिष्ठ श्री आनंद ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करनी चाहिए।

अपीलार्थी की ओर से पेश हुए वकील और प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री निशांत पाटिल-राज्य।

देविका गुजराल

अपीलों को

आंशिक रूप से अनुमति दी गई।